FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0297 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/11/2025 15:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 05/06/2025 Date To (दिनांक तक): 08/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 17:51 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/11/2025 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 14/11/2025 15:39:17 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 320 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b) Address(पता): POLICE THANA MORAK, JILA KOTA RURAL

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SHAINKEE JANGID

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMESH CHAND KHATI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1994 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MORAK STATION JILA KOTA, MORAK, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MORAK STATION JILA KOTA, MORAK, KOTA RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARAMRAJ PRAJAPAT		पिता:RAMDEVA PRAJAPAT	1. KUMHARO KA MOHALLA,AALANPUR,Kotwali Sawaimadhopur,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	HARISH KHINCHI		पिता:GHEESARAM KHINCHI	1. GRAM AVM POST CHHOTI KHATU,DIDWANA,NAGAUR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

हालात इस प्रकार है कि दिनांक 05.06.2025 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द जांगीड जाति खाती उम्र 31 साल निवासी- वार्ड नम्बर-8, मोडक स्टेशन तहसील रामंगजमण्डी जिला कोटा मोबाईल नम्बर [redacted] ने कार्यालय एसीबी इन्टे0 कोटा मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया" निवेदन है कि मेरे बडे भाई विनोद के बैंक खाते में किसी व्यक्ति ने गलत ट्रांजेक्शन से रूपये डलवा दिये थे जिस पर मेरे भाई विनोद को पुलिस थाना मोडक के धर्मराज कानिस्टेबल ने दिनांक 18.05.2025 को थाने में बुलाया तथा मेरे भाई से कहा कि तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस है तथा धर्मराज प्रजापति कॉनिस्टेबल ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी हमने तहसीलदार रामगंजमण्डी से जमानत करवाई है। दिनांक 04.06.2025 को धर्मराज कॉनिस्टेबल व एक अन्य कानिस्टेबल हमारे घर आये तथा मुझसे कहा कि तुम मुझे 90000 रूपये की दे दो मैं विनोद का केस रफादफा कर दूंगा। अगर तुमने रूपये नही दिये तो तुम और तुम्हारे भाई विनोद को 7 साल के लिये जेल भिजवा दूंगा और पट्टे भी पडेंगे। धर्मराज कानिस्टेबल मुझसे मेरे भाई विनोद का केस रफादफा करने और हम दोनों भाईयों को जेल नही भेजने की एवज में 90000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं धर्मराज कानिस्टेबल और उसके साथी कानिस्टेबल को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। धर्मराज और अन्य कानिस्टेबल से मेरी कोई दुश्मनी नही है तथा उनसे मेरा उधार के रूपये का लेनदेन भी नही है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें।" प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। परिवादी परिवादी श्री शैंकी जांगीड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाया गया है। इसलिऐ रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। इस पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने के बारे में परिवादी श्री शैंकी जांगीड से कहा गया तो उसने बताया कि आरोपी धर्मराज ने मुझे कल शाम को बुलाया था। लेकिन मैं नही गया। आज अगर मैं थाने पर उससे मिलने जाउंगा तो उससे मेरी रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में बात हो सकती है। समय 01.15 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 एसीबी चौकी कोटा को अपने चैम्बर में बुलाया। मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 और परिवादी श्री शैंकी जांगीड का आपस में परिचय करवाया जाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बर नोट करवाये गये। कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर परिवादी श्री शैंकी जांगीड को चालू व बंद करने की विधि बताकर वार्ता रिकार्ड करने का तरीका समझाया जाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर सम्भलाया गया। परिवादी श्री शैंकी जांगीड को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि रिश्वत की मांग के संबंध मे आरोपीगण से होने वाली बातचीत को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड कर टेप रिकार्डर को बंद करके सुरक्षित कार्यालय मे लावे तथा मन् उप अधीक्षक को सुपुर्द करें। जिसकी फर्द सुपुर्दगी प्रथक से मुर्तिव की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.30 पीएम पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड को धर्मराज प्रजापति व अन्य कानिस्टेबल थाना मोडक जिला कोटा से होने वाली रिश्वत मांग वार्ता को डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड करने व श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल को वार्ता हेतु परिवादी को आरोपीगण के कार्यालय थाना मोडक में रवाना कर कार्यालय के आसपास ही रहकर गोपनियता बरतते हुये निगरानी करने की हिदायत दी जाकर धर्मराज प्रजापति व अन्य कानिस्टेबल थाना मोडक जिला कोटा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु श्री मनोज कुमार शर्मा कानिस्टेबल 211 व परिवादी श्री शैंकी जांगीड मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड परिवादी की मोटर साईकिल से कस्बा मोडक रवाना किया गया। समय 09.00 पीएम पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड व श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 वापस कार्यालय हाजा आये। परिवादी ने

डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया किया कि "मैं व मनोज जी कानिस्टेबल आपके कार्यालय से रवाना होकर मेरी मोटर साईकिल से कस्बा मोड़क पहुंचे, जहां मैने मनोज जी की मदद से गोपनीय स्थान पर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू कर धर्मराज कानिस्टेबल व अन्य कानिस्टेबल से वार्ता करने थाना मोडक में अन्दर भेजा। मनोज जी थाने के आसपास रूक गये थे। मैने अन्दर जाकर एक महिला कानिस्टेबल से धर्मराज जी कानिस्टेबल के बारे में पूछा तो फ्रेश होने जाना बताया है। इस पर मैंने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर धर्मराज से बात की तो उन्होने थाने पर ही होना बताया था। और उन्होने मेरे से पूछा तो मैने भी थाने पर ही होना बताया। थोडी देर में ही धर्मराज जी कानिस्टेबल थाने पर मेरे सामने आ गये। मैने कहा कि बुलाया था ना आपने तो उन्होने कहा कि मैने तो कल बुलाया था। इस पर मैने कहा कि मैं कल शादी में गया था। शादी में से सीधा ही आर रहा हूं। तो उन्होने कहा कि हां तो फोन कर लेंगे। मैं अभी कहीं जा रहा हूं। इसके बाद मैंने थाने से बाहर आकर डीवीआर बन्द कर लिया और मनोज जी कानिस्टेबल के पास आ गया और मैने उनको सारी बात बताई। हमने शाम तक धर्मराज जी के फोन आने का इंतजार किया। लेकिन उनका कॉल नही आने पर मैने कॉल किया तो उन्होने कहा कि तेरे कहने से थोडी ही बुलाउंगा और फोन काट दिया। इस कॉल को मैंने रिकार्ड नही किया था। लगभग 7.30 पीएम पर रवाना होकर हम वापस आपके कार्यालय में आ गये। मन् उप अधीक्षक ने डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता का सुनकर मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 से परिवादी द्वारा बताये गये हालात की पुष्टि की। आरोपीगण द्वारा बुलाये जाने पर पुनः सत्यापन करवाया जायेगा। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनायी गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर कियें। समय 09.30 पीएम पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड को गोपनियता की आवश्यक मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। दिनांक 08.06.2025 समय 11.24 एएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे पास परिवादी श्री शैंकी जांगीड ने लगभग 10.38 एएम पर कॉल कर बताया कि "मेरी धर्मराज कानिस्टेबल थाना मोडक से बात हुई है और मुझे थाने पर बात करने के लिये बुला रहा है। मैने मेरी मां से फोन कर पूछा तो उसने बताया कि "धर्मराज जी व एक अन्य गंजे से कानिस्टेबल घर पर आये थे और तेरे बारे में पूछकर गाली गलोच करके चले गये।" आप डीवीआर लेकर तुरन्त केवल नगर आ जाओ। मैं यही काम कर रहा हूं। 1.30 पीएम पर मेरा ऑफ डे हो जायेगा। मैं आपको यही मिल जाउंगा।" इस पर मनोज शर्मा कानिस्टेबल 211 को परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये। समय 12.35 पीएम पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड से वार्ता अनुसार श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 को निर्देश दिये कि परिवादी से सम्पर्क कर केवल नगर जाकर उसे हमराह साथ लेकर कस्बा मोड़क पहुंचे। परिवादी को पुनः डीवीआर बन्द व चालू करने की विधि समझाकर सत्यापन वार्ता हेतु आरोपीगण से बात करने हेतु थाना मोडक में रवाना करें। आप भी संभवतः आस पास ही रहकर निगरानी करें। श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल को डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मालखाने से निकालकर संभलाया जाकर केवलनगर व कस्बा मोडक के लिये स्वयं के वाहन कार से रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनायी गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर कियें। समय 05.51 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 ने जर्ये मोबाईल कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी की आरोपीगण से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। परिवादी ने मुझे डीवीआर बन्द कर सुपुर्द कर बताया कि "आरोपीगण द्वारा मुझसे नब्बे हजार रूपये की मांग करते हुये तीस हजार रूपये लेने के लिये सहमत हुये है। रिश्वत राशि आज लाने हेतु कहा हैं। समय 06.15 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में परिवादी से वार्ता अनुसार दिनांक 09.06.2025 को ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से एसीबी चौकी कोटा के कार्यालय पत्रांक 1053 दिनांक 08.06.2025 श्रीमान् तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा के नाम जारी श्री अभिषेक कानिस्टेबल 197 को सुपुर्द कर स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर आने के लिये रवाना किया। समय 07.15 पीएम पर श्री अभिषेक कानिस्टेबल 197 वापस कार्यालय हाजा आया जाहिर किया कि मै कार्यालय से रवाना होकर श्रीमान् तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा के कार्यालय पहुंचकर श्रीमान् तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा कार्यालय पत्रांक पेश कर स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन करने पर उन्होने श्री मनोज कुमार गौतम पुत्र श्री हरिबल्लभ शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 साल निवासी- 1/449 हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी, सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नम्बर- [redacted] व श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री पप्पू लाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी- ग्राम भैरूपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नम्बर- [redacted] स्वतंत्र गवाह के रूप में उपलब्ध करवाये जिनको कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। रवाना होकर वापस कार्यालय हाजा आया। समय 07.30 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 ने जर्ये मोबाईल कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं दरा कस्बे के आसपास आ गया हूं और परिवादी ने मुझे जर्ये मोबाईल अवगत कराया कि आरोपी धर्मराज का कॉल आया है और वो रिश्वत राशि सुबह 9 बजे तक लाने के लिये सहमत हो गया है। इस पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान को पुनः जर्ये मोबाईल व उपस्थित समस्त जाप्ते को सुबह 6 बजे कार्यालय में उपस्थित आने के निर्देश दिये। समय 09.30 पीएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड कार्यालय हाजा

उपस्थित आया डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द कर बताया कि मै डीवीआर मय मेमोरी कार्ड चौकी से रवाना होकर निजी वाहन से केवल नगर पहुंचा। जहां तलविदाशुदा परिवादी श्री शैंकी जांगीड उपस्थित मिला। परिवादी को हमराह लेकर कस्बा मोडक पहुंचा। जहां परिवादी को आरोपीगण से वार्ता करने हेतु डीवीआर बन्द व चालू करने की विधि समझाकर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर थाना मोडक के लिये रवाना किया। मैं भी थाना मोडक के आसपास ही निगरानी में मुकिम हुआ। थोडी देर बाद परिवादी ने आकर बताया कि मैं थाने पर गया तो धर्मराज जी नही मिले। मैने उनको फोन कर कहा तो उन्होने कहा कि साहब सो रहे है। साहब से मिलाउंगा। एक डेढ घण्टे बाद आना। इस पर मैंने थाने के बाहर आकर डीवीआर बन्द कर लिया और आपके पास आ गया। परिवादी ने मुझे डीवीआर में रिकार्डेड वार्ता को सुनाया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। इसके बाद हमने गोपनीय स्थान पर जाकर आरोपी धर्मराज का कॉल आने का इंतजार किया। लगभग दो घण्टें के बाद मैने परिवादी से डीवीआर मय मैमोरी कार्ड ऑन करवाकर रिकार्डिंग मॉड पर कर परिवादी को आरोपीगण से वार्ता हेतु थाना मोडक के लिये रवाना किया। मैने भी निगरानी के लिये आसपास ही मुकीम हुआ। लगभग 20-25 मिनट बाद परिवादी मेरे पास वापस आया और बन्दशुदा डीवीआर मुझे सुपुर्द कर बताया कि""मैं थाने में अन्दर पहुंचा जहां पर मुझे धर्मराज कानिस्टेबल एवं उनके साथी कानिस्टेबल जिसका नाम हरीश खींची है मिले। मैने धर्मराज जी से रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ता की तो धर्मराज व हरीश कानिस्टेबल ने मुझसे नब्बे हजार रूपये की रिश्वत की मांग गई। मेरे बार-2 निवेदन करने पर वो दोनों तीस हजार रूपये लेने के लिये सहमत हुये है। रिश्वत राशि आज लाने हेतु कहा हैं। नही लाया तो बन्द करने की धमकी दी है। वार्ता के दौरान आरोपीगण से मैने एक दो दिन की मोहल्लत चाही तो हवालात में बैठाने की धमकी दी। इस पर मैने आज ही देने की कहकर बडी मुश्किल से थाने से वापस आया हूं।" आपके निर्देशानुसार परिवादी को 30000 रूपये की व्यवस्था करने की हिदायत कर कस्बा मोडक में रूकसत कर मय डीवीआर रवाना हुआ। दौराने सफर परिवादी का फोन आया कि आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल ने मुझे फोन कर रिश्वत सुबह 9 बजे तक लाने का समय दिया है। जिसके हालात् भी मैने आपके जर्ये मोबाईल निवेदन किये थे।" मन् उप अधीक्षक ने डीवीआर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्ता को सुनकर परिवादी श्री शैंकी जांगीड व श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 द्वारा बताये गये अब तक के हालात के अनुसार धर्मराज कानिस्टेबल एवं उसके अन्य साथी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग करने की पुष्टि हुई। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। कार्यवाही हालात् उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये तो दिनांक 09.06.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने के निर्देश प्राप्त हुये। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनायी गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर कियें। दिनांक 09.06.2025 समय 6.30 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार गौतम पुत्र श्री हरिबल्लभ शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 साल निवासी- 1/449 हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नम्बर- [redacted] व श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री पप्पू लाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी- ग्राम भैरूपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नम्बर-[redacted] कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 7.00 एएम पर श्री तंवर सिंह कानि0 चालक 506 से मालखाने से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 यूए 5815 के डेशबोर्ड में रखवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ताराचन्द, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल 140, श्री मनोज शर्मा कानि0 211 व श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 मय सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 यूए 5815 मय फिनॉफ्थलीन पाउडर मय श्री तंवर सिंह कानि0 चालक 506 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड व श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री योगेश कुमार कानिस्टेबल 291, श्री अभिषेक कानिस्टेबल 197, श्री रवि कुमार कानिस्टेबल 285 स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम व श्री रामनिवास मीणा के प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के कस्बा मोडक के लिये ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्री ब्रजराज हैड कानिस्टेबल 144 को छोडा गया। समय 8.20 एएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान व साथ लाये वाहनों से उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोडक-ढाबादेह रोड, मोडक पहुंचा। वाहनों को स्कूल परिसर में खड़ा करवाया। समय 8.22 एएम पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 से परिवादी श्री शैंकी जांगीड को कॉल करवाकर मय आरोपीगण को दी जाने वाली रिश्वत राशि 30000 रूपये व दो मोटरसाईकिल की व्यवस्था करके उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोडक-ढाबादेह रोड, मोडक आने हेतु निर्देशित किया गया। समय 8.30 एएम पर तलविदा परिवादी श्री शैंकी जांगीड स्वयं की मोटरसाईकिल से उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोडक-ढाबादेह रोड, मोडक उपस्थित आया तथा उसके पीछे उसका भाई विनोद एक अन्य मोटरसाईकिल लेकर आया। दोनों बाईक खडी करवाकार परिवादी के भाई विनोद को रूकसत किया गया। उपस्थित परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते का आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा एसीबी को दिनांक 05.06.2025 को पेश किये गये प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर पुनः होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया एवं प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.45 एएम पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द जांगीड जाति खाती उम्र 31 साल निवासी- वार्ड नम्बर-8, मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है -

क्र0स0 नोटों का प्रकार नोटां के नम्बर

1. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 HV 138138
2. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 PL 748421
3. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 CN 146602
4. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 FW 234864
5. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 9 FQ 858584
6. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 RB 620444
7. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 RB 620446
8. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 RB 620447
9. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 RB 620448
10. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 BS 101823
11. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 RU 336065
12. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 BS 970615
13. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 EH 888524
14. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 KL 421375
15. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 SN 892318
16. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 RL 159862
17. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 EU 917925
18. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 VP 438449
19. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 PT 780131
20. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 RM 676612
21. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 PE 963933
22. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 BC 400278
23. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 EQ 863982
24. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 TB 216643
25. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 TB 863642
26. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 SN 611002
27. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 WQ 519279
28. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 HE 686471
29. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 FE 398872
30. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 TA 544133
31. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 BF 219841
32. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 EM 523730
33. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 3 HW 381970
34. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 FU 817997
35. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 9 CD 697585
36. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 TU 269453
37. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 KB 409624
38. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 GP 907850
39. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 MA 503411
40. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 PK 822503
41. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 4 RV 567817
42. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 DK 220028
43. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 9 NV 659492
44. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 EH 744490
45. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 PL 970055
46. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 QV 830651

47. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 RK 242851
48. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 WT 513812
49. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 CM 098937
50. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 6 VA 102034
51. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 GB 783662
52. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 8 UV 230217
53. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 1 HV 832258
54. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 ED 848388
55. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 HB 159849
56. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 ML 378113
57. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 5 NG 015648
58. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 0 EC 436044
59. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 7 EM 258158
60. एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का 2 FP 263792

सरकारी वाहन के डेशबोर्ड से श्री तंवर सिंह कानि. चालक 506 के द्वारा फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडा सा फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री रामनिवास मीणा सें परिवादी श्री शैंकी जांगीड की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तू इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री तवरं सिंह कानि. चालक 506 सें परिवादी की पेंट की जेब में सीधे ही रखवाये गये। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री तवरं सिंह कानि. चालक 506 के फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुंलियों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री शैंकी जांगीड को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब सें निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिसकॉल करके ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर की शीशी श्री तवरं सिंह कानि. चालक 506 को देकर अग्रिम आदेश तक उच्च माध्यमिक विद्यालय, ढाबादेह रोड़, मोडक, जिला कोटा में ही रूकने के निर्देश दिये। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री शैंकी जांगीड एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमौरी लगाकर परिवादी को उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी पेंट की दूसरी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर के कार्ड में रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फर्द शामिल पत्रावली की गई। समय 09.15 ए0एम0 पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड ने बताया कि वो दोनों आरोपीगण बिना फोन किये अचानक घर पर आ जाते है। अगर मैं उन्हे पर नही मिला तो वो रिश्वत राशि प्राप्त नही करेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोडक-ढाबादेह रोड, मोडक से परिवादी उसकी मोटर साईकिल पर तथा दुसरी मोटरसाईकिल पर श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 व श्री योगेश कुमार कानिस्टेबल 291 रवाना कर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप सामग्री के परिवादी के घर के लिये रवाना हुये। श्री तंवर सिंह चालक 506 को आगामी आदेश तक सरकारी वाहन आरजे 14 यूएल 5815 में ही स्कूल में रूकने के निर्देश दिये। समय 9.30 ए0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता मय प्राईवेट वाहन मय ट्रेप सामग्री परिवादी के घर पहुंचा। जहां श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 व श्री योगेश कुमार कानिस्टेबल 291 तथा परिवादी उपस्थित मिले। परिवादी के घर पर आरोपीगण धर्मराज व हरीश खिंची कानिस्टेबल के आने के इंतजार में स्वयं की एव एसीबी टीम की उपस्थिति छुपाते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु मुकीम हुये। समय 10.00 पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड के मोबाईल से आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल को कॉल करवाया तो कॉल रिसीव नही किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस अग्रिम कार्यवाही में व्यस्त हुआ। परिवादी को आरोपी का कॉल आते ही तुरन्त बताने की हिदायत दी गई । समय 10.30 ए0एम0 पर दिनांक 08.06.2025 को परिवादी श्री शैंकी जांगीड से आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल व श्री हरिश खिंची कानिस्टेबल के मध्य हुई दिनांक 08.06.2025 को थाना मोडक जिला कोटा ग्रामीण में हुई रिश्वत मांग

सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 से कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये परिवादी व स्वतंत्र गवाहो को वार्ता के अंश सुनाये जाकर गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हू ब हू तैयार करवाई गयी। जिसे गवाहो तथा परिवादी को पढवाया गया। सम्बन्धितों ने सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता शामिल पत्रावली की गई। समय 01.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड से आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल मध्य दिनांक 05.06.2025 को मोबाईल पर व आमने सामने हुई थाना मोडक जिला कोटा ग्रामीण में हुई रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल 211 से कार्यालय के लेपटोप में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये परिवादी व स्वतंत्र गवाहो को वार्ता के अंश सुनाये जाकर गवाहान के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता हू ब हू तैयार करवाई गयी। जिसे गवाहो तथा परिवादी को पढवाया गया। सम्बन्धितों ने सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता शामिल पत्रावली की गई। समय 06.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड से उसके मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री धर्मराज कानिस्टेबल थाना मोडक के मोबाईल नम्बर पर कॉल करवाया तो कॉलर रिंग एक बार बजकर व्यस्त होना बताया। पुनः दो बार कॉल करवाया तो कॉलर रिंग एक बार बजकर व्यस्त होना बताया। इस पर परिवादी ने बताया कि आरोपी धर्मराज ने मेरे नम्बर ब्लॉक कॉन्टैक पर डाल दिये हैं। अब उसके मोबाईल पर मेरा कॉल नही लगेगा। मुझे लगता है उसको शक हो गया या फिर वो सतर्कता बरत रहा है। अब ना तो आरोपी के आने की संभावना है और ना ही उसका कॉल आने की संभावना है। समय 06.30 पी0एम0 पर परिवादी द्वारा बताये अनुसार आज कार्यवाही की संभावना नही होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस परिवादी के घर से मय जाप्ता मय परिवादी मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय रिश्वत राशि उच्च माध्यमिक स्कूल, ढाबादेह रोड, मोडक रवाना हुआ। समय 07.00 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा मय हमराहीयान के उच्च माध्यमिक स्कूल, ढाबादेह रोड, मोडक पहुंचा। यहां उपस्थित श्री तंवर सिंह चालक 506 से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की जेब से रिश्वत राशि 30,000 रूपये निकलवाये जाकर एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाये जाकर स्वतंत्र गवाह श्री रामनिवास मीणा के पास सुरक्षित रखवायें। परिवादी से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी को गोपनियता की हिदायत कर आरोपी का कॉल आने व उसके सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् उप अधीक्षक पुलिस व मनोज कुमार कानिस्टेबल बताने के निर्देश दिये गये। समय 07.30 पी0एम0 पर परिवादी को उसके घर जाने हेतु सकुशल रूकसत किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय रिश्वत राशि के लिफाफा मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान साथ लाये प्राईवेट व सरकारी वाहनों से मय ट्रेप बॉक्स व अन्य ट्रेप सामग्री के कोटा रवाना हुआ। समय 10.00 पी0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय रिश्वत राशि के लिफाफा मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान साथ लाये प्राईवेट व सरकारी वाहनों से मय ट्रेप बॉक्स व अन्य ट्रेप सामग्री के कार्यालय हाजा आया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड, रिश्वत राशि का लिफाफा, ट्रेप बॉक्स व अन्य ट्रेप सामग्री मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को मुनासिब हिदायत कर कार्यालय से सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 25.06.2025 समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री शैंकी जांगीड उपस्थित कार्यालय आया तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि कि मैं मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा का निवासी हूं तथा मजदूरी का काम करता हू। निवेदन है कि मेरे भाई विनोद को पुलिस थाना मोडक के धर्मराज कानिस्टेबल ने दिनांक 18.05.2025 को थाने में बुलाया तथा मेरे भाई से कहा कि तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस है तथा धर्मराज प्रजापति कॉनिस्टेबल ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी हमने तहसीलदार रामगंजमण्डी से जमानत करवाई है। धर्मराज कानिस्टेबल ने मुझसे मेरे भाई विनोद का केस रफादफा करने और हम दोनों भाईयों को जेल नही भेजने की एवज में 90000 रूपये की रिश्वत मांग की। जिसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु मैने दिनांक 05.06.2025 को आपके कार्यालय में आकर एक प्रार्थना पत्र आपको पेश किया था। उस आप द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 05.06.2025 व 08.06.2025 को मेरी शिकायत का सत्यापन करवाया था। सत्यापन के दौरान आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल व हरीश खींची कानिस्टेबल थाना मोडक जिला कोटा ग्रामीण 30000 रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुये थे। सत्यापन होने के बाद टैृप कार्यवाही हेतु मैने आपको 30000 रूपये पेश किये थे तथा दिनांक 09.06.2025 को आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल व हरीश खींची कानिस्टेबल थाना मोडक जिला कोटा ग्रामीण को एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों पकडने का प्रयास किया था। लेकिन उन्होने उस दिन रिश्वत राशि नही ली। धर्मराज कानिस्टेबल व हरीश खींची कानिस्टेबल ने दुबारा मुझसे सम्पर्क नही किया है तथा मेरा मोबाईल नम्बर भी ब्लेकलिस्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि उन दोनों को मुझ पर शक हो गया है। वो दोनों अब मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नही करेंगे। अतः मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही दोनों कानिस्टेबल के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर मेरे द्वारा दिनांक 09.06.2025 को पेश की 30000 रूपये रिश्वत राशि मुझे लौटाने की कृपा करें।' परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार शेष कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय 10.15 एएम पर जर्ये दुरभाष उक्त कार्यवाही में पूर्व के स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम कनिष्ठ सहायक व श्री रामनिवास

मीणा पटवारी, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा को तलब किया गया। समय 11.00 एएम पर तलविदाशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम कनिष्ठ सहायक व श्री रामनिवास मीणा पटवारी, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा उपस्थित चौकी आये। परिवादी द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतन्त्र गवाहान को पढवाकर हालात बताये जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.15 एएम पर दिनांक 05.06.2025 रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता तथा 08.06.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (250605_1514, 250608_1501, and 250608_1719) जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 05 पेन ड्राईव (Sandisk Cruzer Blade 32 GB) में श्री मनोज कुमार कानि0 211 से सेव करवाई गयी। जिसकी फर्द डंबिग पेन ड्राईव श्री मनोज कुमार कानि0 211 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना के लिए तथा एक-एक पैन ड्राईव दोनों आरोपीगण के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुली रखी गई। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना Hash checker App Is SHA256 हैशवेल्यू प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये (SanDisk microSDHC card 32 GB) मेमोरी कार्ड को डीवीआर में से निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। कार्यवाही की फर्द डबिंग पेनड्राईव एवं जप्ती मूल मेमोरी कार्ड तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.15 पीएम पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री रामनिवास मीणा व श्री मनोज कुमार गौतम के समक्ष रिश्वत राशि 30000 रूपये मालखाने से निकलवाकर नोटों पर लगे फिनॉफ्थलीन पावडर को अच्छी तरह साफ करवाकर परिवादी श्री शैंकी जांगीड को सुपुर्द की गई। फर्द सुपुर्दगी मुर्तिब की जाकर पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.00 पीएम पर बाद कार्यवाही परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर उनके गन्तव्य की पर सकुशल रूखसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही व हालात् से पाया गया कि दिनांक 05.06.2025 को परिवादी श्री शैंकी जांगीड पुत्र स्व. श्री रमेशचन्द जांगीड जाति खाती उम्र 31 साल निवासी- वार्ड नम्बर-8, मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा मोबाईल नम्बर 8233484982 ने ब्यूरां कार्यालय एसीबी इन्टे0 कोटा मे उपस्थित होकर स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् ताराचन्द उप अधीक्षक पुलिस को इस आशय का पेश किया "निवेदन है कि मेरे बडे भाई विनोद के बैंक खाते में किसी व्यक्ति ने गलत ट्रांजेक्शन से रूपये डलवा दिये थे जिस पर मेरे भाई विनोद को पुलिस थाना मोडक के धर्मराज कानिस्टेबल ने दिनांक 18.05.2025 को थाने में बुलाया तथा मेरे भाई से कहा कि तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस है तथा धर्मराज प्रजापति कॉनिस्टेबल ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी हमने तहसीलदार रामगंजमण्डी से जमानत करवाई है। दिनांक 04.06.2025 को धर्मराज कॉनिस्टेबल व एक अन्य कानिस्टेबल हमारे घर आये तथा मुझसे कहा कि तुम मुझे 90000 रूपये की दे दो मैं विनोद का केस रफादफा कर दूंगा। अगर तुमने रूपये नही दिये तो तुम और तुम्हारे भाई विनोद को 7 साल के लिये जेल भीजवा दूंगा और पट्टे भी पडेंगे। धर्मराज कानिस्टेबल मुझसे मेरे भाई विनोद का केस रफादफा करने और हम दोनों भाईयों को जेल नही भेजने की एवज में 90000 रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नही देना चाहता हूं। मैं धर्मराज कानिस्टेबल और उसके साथी कानिस्टेबल को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। धर्मराज और अन्य कानिस्टेबल से मेरी कोई दुश्मनी नही है तथा उनसे मेरा उधार के रूपये का लेनदेन भी नही है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी श्री शैंकी जांगीड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाने दिनांक 05.06.2025 को परिवादी श्री शैंकी जांगीड के साथ श्री मनोज कुमार कानि 211 एसीबी कोटा को मय डीवीआर मेमोरी कार्ड कस्बा मोडक भेजकर रिश्वत मांग के सत्यापन का प्रयास करवाया गया तथा दिनांक 08.06.2025 श्री मनोज कुमार कानि0 211 एसीबी कोटा को मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड परिवादी से सम्पर्क कर कस्बा मोडक भेजकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिकार्डेड गोपनीय सत्यापन वार्ता एवं परिवादी व श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल के बताये हालात से आरोपीगण श्री धर्मराज कानिस्टेबल व हरीश कानिस्टेबल थाना मोडक ने परिवादी से 90000 रूपये की रिश्वत की मांग करने व परिवादी के निवेदन पर 30000 रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत होने की की पुष्टि हुई। इस पर ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री मनोज कुमार गौतम पुत्र श्री हरिबल्लभ शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 32 साल निवासी- 1/449 हाऊसिंग बोर्ड कोलोनी सवाई माधोपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नम्बर- 9530222102 व श्री रामनिवास मीणा पुत्र श्री पप्पू लाल मीणा जाति मीणा उम्र 33 साल निवासी- ग्राम भैरूपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां हाल पटवारी पटवार हल्का नया नोहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मोबाईल नम्बर-9166318572 पाबन्द करवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ताराचन्द, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानिस्टेबल 140, श्री मनोज शर्मा कानि0 211 व श्री योगेन्द्र सिंह कानि0 282 मय सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 यूए 5815 मय फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मय श्री तंवर सिंह कानि0 चालक 506 मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड व श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री योगेश कुमार कानिस्टेबल 291, श्री

अभिषेक कानिस्टेबल 197, श्री रवि कुमार कानिस्टेबल 285 स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार गौतम व श्री रामनिवास मीणा के प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर व आवश्यक सामग्री के कस्बा मोडक गया। उच्च माध्यमिक स्कूल मोडक में तलविदा परिवादी श्री शैंकी जांगीड उपस्थित आया। वहां परिवादी द्वारा पेश रिश्वत राशि के नोटों पर श्री तंवर सिंह चालक 506 से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर सोडियम कॉर्बोनेट व फिनॉफ्थलीन दृष्टान्त परिवादी व गवाहान को समझाई जाकर में फर्द पेशकशी मुर्तिब कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यवाही के दौरान डीवीआर में लगे मेमोरी रिकार्डेड सत्यापन प्रयास वार्ता व सत्यापन वार्ता की नियमानुसार ट्रांसक्रिप्ट तैयार फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षकर करवाये गये। दिनांक 09.06.2025 को आरोपीगण द्वारा रिश्वत राशि नही लेने से बाद कार्यवाही परिवादी को मुनासिब हिदायत कर डीवीआर व रिश्वत राशि का लिफाफा लेकर मय हमराहीयान के कार्यालय वापस आया।

दिनांक 25.06.2025 परिवादी श्री शैंकी जांगीड उपस्थित कार्यालय आया तथा एक हस्तलिखित प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि "मैं मोडक स्टेशन तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा का निवासी हूं तथा मजदूरी का काम करता हू॑। निवेदन है कि मेरे भाई विनोद को पुलिस थाना मोडक के धर्मराज कानिस्टेबल ने दिनांक 18.05.2025 को थाने में बुलाया तथा मेरे भाई से कहा कि तुम्हारे खिलाफ फ्रॉड का केस है तथा धर्मराज प्रजापति कॉनिस्टेबल ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी हमने तहसीलदार रामगंजमण्डी से जमानत करवाई है। धर्मराज कानिस्टेबल ने मुझसे मेरे भाई विनोद का केस रफादफा करने और हम दोनों भाईयों को जेल नही भेजने की एवज में 90000 रूपये की रिश्वत मांग की। जिसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु मैने दिनांक 05.06.2025 को आपके कार्यालय में आकर एक प्रार्थना पत्र आपको पेश किया था । आप द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 05.06.2025 व 08.06.2025 को मेरी शिकायत का सत्यापन करवाया था। सत्यापन के दौरान आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल व हरीश खींची कानिस्टेबल थाना मोडक जिला कोटा ग्रामीण 30000 रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुये थे। सत्यापन होने के बाद टै्रप कार्यवाही हेतु मैने आपको 30000 रूपये पेश किये थे तथा दिनांक 09.06.2025 को आरोपी धर्मराज कानिस्टेबल व हरीश खींची कानिस्टेबल थाना मोडक जिला कोटा ग्रामीण को एसीबी टीम द्वारा रंगे हाथों पकडने का प्रयास किया था। लेकिन उन्होने उस दिन रिश्वत राशि नही ली। धर्मराज कानिस्टेबल व हरीश खींची कानिस्टेबल ने दुबारा मुझसे सम्पर्क नही किया है तथा मेरा मोबाईल नम्बर भी ब्लेकलिस्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि उन दोनों को मुझ पर शक हो गया है। वो दोनों अब मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण नही करेंगे। अतः मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही दोनों कानिस्टेबल के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर मेरे द्वारा दिनांक 09.06.2025 को पेश की 30000 रूपये रिश्वत राशि मुझे लौटाने की कृपा करें।' परिवादी के प्रार्थना पत्र अनुसार कार्यवाही पूर्ण करने हेतु स्वतंत्र गवाहान को तलब किया गया। स्वतन्त्र गवाहान परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाकर हालात बताये जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 05.06.2025 रिश्वत मांग सत्यापन प्रयास वार्ता तथा 08.06.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता (250605_1514, 250608_1501, and 250608_1719) जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 05 पेन ड्राईव (Sandisk Cruzer Blade 32 GB) में श्री मनोज कुमार कानि0 211 से सेव करवाई गयी। जिसकी फर्द डंबिग पेन ड्राईव श्री मनोज कुमार कानि0 211 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना के लिए तथा एक-एक पैन ड्राईव दोनों आरोपीगण के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुली रखी गई। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड की हैश वैल्य की गणना Hash checker App Is SHA256 हैशवेल्यू प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये (SanDisk microSDHC card 32 GB) मेमोरी कार्ड को डीवीआर में से निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शैंकी जांगीड को रिश्वत राशि 30000 रूपये मालखाने से निकलवाकर नोटों पर लगे फिनॉफ्थलीन पावडर को अच्छी तरह साफ करवाकर जरिये फर्द सुपुर्द की गई। बाद कार्यवाही परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर उनके गन्तव्य पर सकुशल रूखसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही हालात व फर्दात् से आरोपीगण का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 7,12 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय होने से आरोपीगण 1. श्री धर्मराज प्रजापत पुत्र श्री रामदेवा प्रजापत उम्र 36 साल निवासी- कुम्हारो का मोहल्ला आलनपुर पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल कानि0 106 पुलिस थाना मोड़क जिला कोटा ग्रामीण व 2.श्री हरीश खींची पुत्र श्री घींसाराम खींची उम्र 37 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट छोटी खाटू तहसील डीडवाना पुलिस थाना खुनखुना जिला नागौर हाल कानि0 1124 पुलिस थाना मोड़क जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7,12 पी. सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (ताराचंद) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा।............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना

नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ताराचंद उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीयान 1.श्री धर्मराज प्रजापत पुत्र श्री रामदेवा प्रजापत उम्र 36 साल निवासी- कुम्हारो का मोहल्ला आलनपुर पुलिस थाना कोतवाली जिला सवाई माधोपुर हाल कानि0 106 पुलिस थाना मोड़क जिला कोटा ग्रामीण 2.श्री हरीश खींची पुत्र श्री घींसाराम खींची उम्र 37 साल निवासी- ग्राम व पोस्ट छोटी खाटू तहसील डीडवाना पुलिस थाना खुनखुना जिला नागौर हाल कानि0 1124 पुलिस थाना मोड़क जिला कोटा ग्रामीण के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती चन्द्र कंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 269 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1686-89 दिनांक 14.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- पुलिस अधीक्षक जिला कोटा ग्रामीण 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):** **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Chandra Kanwar Tanwar **Rank (पद):** निरीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused Investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 1[illegible]22

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1989				
2	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)